कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री बाबूलाल पुत्र श्रवण लाल जाति मीना निवासी चॉदा की ढाणी, चोकीदारों की ढाणी लालसोट रोड दौसा जिला दौसा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी), दौसा

अपील सं0 53/2017

निर्णय दिनांक 11.10.2017

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा को सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा उनके पत्रांक पीए/एफ–34/भू0अवा0(2) (2) 2017/3412 दिनांक 10.10..2017 से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा पत्रांक पीए/एफ–34/भू0अवा0(2)(2)/2017/2935 दिनांक 11.09.2017 से प्रार्थी को सूचित किया गया था। अपीलाण्ट द्वारा वांछित सूचना पूर्व में ही इस कार्यालय से प्राप्त कर ली गई थी तथा पत्रावली से संबंधित कोई सूचना शेष नही रही है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया कि प्रार्थी के वकील ने प्रकरण में अब कोई सूचना नहीं चाहिए बाबत उक्त पत्र पर अंकित किया है। पत्र की प्रति संलग्न भिजवाई गई हैं । इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक को वॉछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा